गवाह का बयान :-

मैं नीचे हस्ताक्षर कर्ता सच सच बयान करता हूं कि दिनांक 30/3/2017 को प्रातः 7 बजे परिसर रक्षक बालेंगा के साथ जंगल भ्रमण पर गये थे। हमें कक्ष क्र. 1428 P बालेंगा मे नाली खुदा हुआ दिखा। नजदीक जाकर देखा तो नाली खोदाई किया गया था। आसपास देखा कोई नही था। आसपास पता किये, तब पता चला कि रिलायन्स कम्पनी द्वारा रोड किनारे केबल लाइन बिछाने हेतु रात्री मे नाला खोदा गया था। परिसर रक्षक द्वारा नाली का नापजोख किया गया एवं अभिलेख तैयार कर मौका पंचनामा तैयार किया एवम P.O.R. No. 4324/20 दिनांक 30/3/2017 को जारी किया।

बयान पढ़कर सुनाया पश्चात हस्ताक्षर किया जो सही है।

मेरे द्वारा लिपिबद्ध किया गया

M/Smith
31/3/2017

परिक्षेत्र सहायक
[illegible]

गणेश

(गणेश / सोनसिंह)
ग्राम - बालेंगा

[illegible] का [illegible] (मुकदमा का रोजनामचा)

[illegible] 2020 [illegible] 380 [illegible]

[illegible] से [illegible]

[illegible]

[illegible] 2019

[illegible]	[illegible]
[illegible]	
[illegible] के [illegible] नोटिस से [illegible] कार्यालय में [illegible]	FOREST RANGE OFFICER BASTAR
[illegible] अधिकारी [illegible] 31/3/19	
[illegible] के [illegible] को 15 [illegible] कार्यालय में प्रस्तुत करें	FOREST RANGE OFFICER BASTAR

मैं नीचे हस्ताक्षरकर्ता सच-सच बयान करता हूं कि दिनांक 30/3/2017 को प्रातः 7 बजे परिसर रक्षक बालेंगा के साथ जंगल भ्रमण पर गये थे। तो कक्ष क्र. 1428P बालेंगा में नाली खुदा हुआ दिखा। नजदीक जाकर देखा तो नाली खोदाई किया गया था। आस-पास देखा कोई नहीं था। आस-पास पता किये तो किसी निर्माण कंपनी द्वारा रोड किनारे केबल डालने हेतु रात्रि में नाली खोदा गया था। परिसर रक्षक द्वारा नाली का नाप जोख किया गया एवं नक्शा तैयार कर मौका पंचनामा तैयार किया एवं P.O.R. No. 4326/20 दिनांक 30/3/2017 को जारी किया।

बयान पढ़कर सुनाया पश्चात हस्ताक्षर किया जो सही है।

गवाह का बयान दर्ज किया

[signature]
31/3/2017

परिक्षेत्र सहायक
बस्तर

[signature]
(लखमू फौटका)
ग्राम - भैरोद

वन विभाग, छत्तीसगढ़

जप्तीनामा फार्म

(भारतीय वन विधान 1927 की धारा 52 के अन्तर्गत)

जप्ती का स्थान (2)	जिसके पास से जप्त किया (3)	जप्तशुदा माल का विवरण (4)	जप्त करने वाले अधिकारी का नाम (5)	चिन्ह जो जप्त की गई सम्पत्ति पर अंकित किया गया (6)	जिस व्यक्ति के पास से जप्त किया उसके हस्ताक्षर (7)	विशेष विवरण (8)
कुप क्रं. 1428	जिओ रिलायन्स कम्पनी	अवैध रूप से नाली खोदाई कार्य 380 मीटर लम्बाई लं. चौ. गहराई cmt (1) 143मी.×0.80मी×1.50मी = 171.600 (2) 237मी.×0.60मी×0.80मी = 113.760 योग 285.360 घ.मी. 380 मी.	श्री धनसिंह ठाकुर व.र. परिसर रक्षक बालेंगा	BTR/25 30/3/17		राष्ट्रीय राजमार्ग जबलपुर-रायपुर मार्ग 12 के किनारे में ... कोसा सेन्टर के पास मार्ग से 20 मीटर अन्दर के अन्दर खुदाई करना।

उसका पूरा पता

ठेका / योगेन्द्र सिंह ग्राम [illegible]   गणेश

राम / कोटक ग्राम – भोपई   [illegible]

धनसिंह व.र.

जप्त करने वाले आफिसर के ह[स्ताक्षर]

धनसिंह ठाकुर व.र.

परिसर रक्षक [illegible]

1	2	3	
30/3/2017	बस्तर	प्रकरण जांच हेतु प्राप्त किया	परिक्षेत्र सहायक बस्तर
31/3/2017	बस्तर	गवाहों का बयान दर्ज किया।	परिक्षेत्र सहायक
1/4/2017	बस्तर	मौका पंचनामा तैयार किया।	परिक्षेत्र सहायक
1/4/2017	बस्तर	व-2 का बयान दर्ज किया	परिक्षेत्र सहायक बस्तर
1/4/2017	बस्तर	प्रकरण जांच को कार्यालय में जमा किया।	परिक्षेत्र सहायक बस्तर

मौका पंचनामा

हम नीचे हस्ताक्षर कर्ता सच सच बयान करते हैं कि दिनांक 30/3/2017 प्रातः 7 बजे परिसर रक्षक बालेंगा के साथ भ्रमण पर थे / हमें कक्ष क्र. 1428 P बालेंगा में लगभग 350 मीटर नाली रास्ते में खुदाई किया गया था जो दिखाई दिया / आस पास पता किया गया तब जियो रिलायन्स द्वारा रोड किनारे केबल बिछाने हेतु अवैध रूप से नाली खुदाई कार्य किया गया है परिसर रक्षक द्वारा नाली का नापजोख किया गया / अतिक्रमण बनाया एवं P.O.R. No. 4326/20 दिनांक 30/3/2017 को जारी किया /

यही हमारा सच सच बयान है /

गवाह का नाम	ग्राम	हस्ताक्षर
1 गणेशा/सोनसिंग	ग्राम बालेंगा	गणेशा
2 लखनु/छेदूलाल	ग्राम भोड़	लखन
3 सुरजराम/मंगलु	ग्राम बागबहार	सूरजराम मौर्य
4 गोविन्द/दामू	ग्राम बागबहार	[अंगूठा निशान]
5 जगसिंह/डुमरू	ग्राम बागबहार	जगसिंह
6 कमलु/बैसन	ग्राम बागबहार	कमलू

मेरे द्वारा पंचनामा तैयार किया गया

(हस्ताक्षर)

परिक्षेत्र सहायक

अवयस्क ... का विवरण

वन विभाग

-: वन अपराध प्रकरण प्रतिवेदन :-

(1) अपराध दिनांक यदि विदित हो	P.O.R. No. 4326/20 दि. 30/3/2017
(2) कर्मचारी का नाम जिसने अपराध पकड़ा हो। अपराधी का पता लगाने का दिनांक	श्री घनसिंह ठाकुर व.र.
(3) अपराध	अवैध रूप से नाली खोदाई कार्य
(4) अपराधी का नाम और पिता का नाम जाति तथा निवास स्थान	जियो रिलायन्स कम्पनी —
(5) वनोपज एवं अन्य वस्तुओं का विवरण एवं बाजार भाव से उनका मूल्य	380 मिटर नाली का अवैध रूप से खुदाई कार्य = 285.360 घ.मी.
(6) अपराध की प्रकृति भारतीय वन अधिनियम की धारा जिसके अन्तर्गत दण्डनीय है।	भा.व. अधि. 1927 की धारा 33(1) ग
(7) साक्षीगण का नाम तथा पूर्ण पता	① गणेश / सोनसिंह ग्राम आरंगा ② रामू / फोरवा ग्राम भोथ
(8) जप्त शुदा माल को जिसके सुपुर्द किया गया	—
(9) जांच अधिकारी का नाम तथा पद	मोहन कुराडे उपवनक्षेत्रपाल
(10) जांच की अवधि	30/3/2017 से 1/4/2017
(11) अपराधी के पूर्व अपराधों का विवरण (यदि कोई हो)	—
(12) अपराधी प्रकरण को अभिसंधानित करने की इच्छुक है अथवा नहीं	—
(13) अपराधी की आर्थिक परिस्थिति का विवरण	—

... व आदेश/ तिथि	वनोपज किस दिनों में बेचा गया	पूर्ण वनोपज का निवर्तन			
		पावती क्रमांक	दिनांक	यदि नीलाम किया ...	
37	38			नाम	

परिक्षे...

प्रति,

परिक्षेत्राधिकारी बस्तर

निवेदन है कि यह वन अपराध प्रकरण क्रमांक 4326/20 दिनांक 30/3/2017

वन रक्षक धनसिंह ठाकुर द्वारा 30/3/2017 को जारी किया गया है। जिसकी जाँच मेरे द्वारा सूक्ष्मता से की गई है। अपराधी जियो रिलायन्स कम्पनी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए/ नहीं करते हुए विभाग से फैसला चाहा है/ नहीं चाहा है। अतः मैं प्रकरण को अभिसंधानित हेतु/ प्रकरण को न्यायालय में देने हेतु निम्न सिफारिश करता हूँ

वनोपज मूल्य ....

क्षति पूर्ति ....

योग

मण्डलाधिकारी/ उप वनमण्डलाधिकारी

प.स. परिक्षेत्र सहायक बस्तर

निवेदन है कि मैं परिक्षेत्र सहायक की राय से सहमत हूँ/ नहीं हूँ तथा निम्न प्रकरण अभिसंधानित हेतु न्यायालय में ... हेतु अनुशंसा करता हूँ।

वनोपज मूल्य ....

क्षति पूर्ति ....

योग

मि.ति.

वन परिक्षेत्राधिकारी

वर्णित वनोपज मूल्य इत्यादि चैक कर प्रस्तुत करें।

नरसिंह का बयान

मैं नरसिंह ठाकुर परिसर रक्षक कालेंगा सच सच बयान करता हूं कि दिनांक 30/3/2017 को प्रातः 07 बजे समीप साथियों के साथ कक्ष क्र 1428 P मे भ्रमण कर रहा था। तभी नाली खुदा हुआ दिखा पास जाकर देखा तो नाली खुदाई किया गया था। आसपास पता किये तो पता चला कि रात्री मे जियो रिलायन्स कम्पनी द्वारा केबल वायर बिछाने हेतु नाली खोदाई अवैध रूप से किया गया है। आसपास कोई मौजूद नही था। मेरे द्वारा खोदी गई नाली का नाप जोख किया गया। अभिलेख तैयार किया, गवाहो के समक्ष मौका पंचनामा तैयार कर गवाहो का बयान लिया गया। एवं P.O.R No 4326/20 दिनांक 30/3/2017 को जारी किया गया।

यही मेरा बयान है जो सच है।

मेरे द्वारा लिखित किया गया।

M[signature] 4/4/2017

[stamp] [illegible]

ह. नरसिंह

(परिसर रक्षक कालेंगा)

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी – बस्तर परिक्षेत्र

क्रमांक / BTR/ 354

बस्तर, दिनांक 01/04/2017

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वन मण्डल,
जगदलपुर

विषय :- जियो रिलायन्स कम्पनी के द्वारा वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन नाली खोदने के सम्बंध में।

– 0 –

विषयान्तर्गत निवेदन है कि वन परिक्षेत्र बस्तर के अन्तर्गत बालेंगा –परिसर के परिसर रक्षक श्री भनसिंह ठाकुर के द्वारा वन भ्रमण के दौरान प्रातः 7.00 बजे देखा कि, कक्ष क्र0 1428 पी. राष्ट्रीय राजमार्ग जगदलपुर – रायपुर मार्ग में बॉक्स सेन्टर के पास में मार्ग से 20 मी0 जंगल के अन्दर में खुदाई कार्य किया गया है, जो कि जगदलपुर से 22.00 कि.मी. की दूरी पर है। किसी के द्वारा वन क्षेत्र में दिनांक 29.03.2017 रात्रि को अवैध रूप से अवैध उत्खनन 300 मी0 लम्बाई एवं 0.60 मी0 चौड़ाई तथा 0.70 से 1.50 मी0 की गहराई में नाली खुदाई का कार्य किया गया था। तब परिसर रक्षक एवं चौकीदार के द्वारा पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि जियो रिलायन्स कम्पनी के द्वारा अवैध रूप से नाली खोदा गया है। दिनांक 30.03.2017 को परिसर रक्षक के द्वारा जियो रिलायन्स कम्पनी के नाम से पी.ओ.आर. क्र0 4326/20 दिनांक 30.03.2017 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। एवं अपराधी का पता लगाया जा रहा है।

कृपया उक्त सम्बंध में आगे की कार्यवाही करने हेतु उचित मार्गदर्शन देने की कृपा करें।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
बस्तर

4326

वन परिक्षेत्र अधिकारी

4326/80 30/3/2017

जिमो / निवासंग

क्साती

जटौद्या से नाली खुदाई 3.80 मी लम्बाई (धारा 33(1) ग)

1488

30/3/2017

(1) वाढेगा / सोनसिंह ग्राम वाढेगा
(2) जम्बु / फोस्का ग्राम भोरा

कस्तर

कस्तर

दुर्गसिंह नरे

वाढेगा

30/3/2017

वाढेगा

IX-(a)-2
For Hindi

4326

वन परिक्षेत्र अधिकारी

20

4326/80 30/3/2017

जिमो, निवासंग

क्साती

जटौद्या से नाली खुदाई 3.80 मी लम्बाई (धारा 33(1) ग)

1/488

30/3/2017

(1) वाढेगा / सोनसिंह ग्राम वाढेगा
(2) जम्बु / फोस्का ग्राम भोरा

कस्तर

दुर्गसिंह नरे

वाढेगा

30/3/2017

वाढेगा

31R/25
30/3/17

28

आपके पारित निर्णय का विवरण